

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 1848 (भाग 1)

30 07 2024

विषय: IS 1848 (भाग 1): 2018 (लेखन और मुद्रण कागज – विशिष्टि भाग 1 अकाउन्ट बुक, एजोर लेड, बॉण्ड, क्रीम लेड और क्रीम वोव/ वाईट प्रिंटिंग/ रंगीन प्रिंटिंग/ ऑफसेट प्रिंटिंग और टाइपराटिंग प्ररूप) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 1848 (भाग 1): 2018 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 1848 (भाग 1): 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **16 दिसम्बर 2024** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 1848 (भाग 1): 2018 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **16 दिसम्बर 2024** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(अमित चौधरी) वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 1848 (Part 1)

30 07 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 1848 (Part 1): 2018 (Writing and Printing Papers — Specification Part 1 Account Book, Azure Lead, Bond, Cream Laid and Cream Wove/Printing White/Printing Coloured/Printing Offset, Printing Maplitho, Printing White Super Calendered and Typewriting Types)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 1848 (Part 1): 2018 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 1848 (Part 1): 2018 is **16 December 2024.** All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **16 December 2024.**

(Amit Choudhary) Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices